

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 122]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 मार्च 2015—चैत्र 4, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973), की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज को अशोकनगर जिले की चन्देरी तहसील के समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय विक्रय का विनियमन करने के लिये चन्देरी में मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव,

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th March 2015

No. D-15-6-2015-XIV-3.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declares its intention to establish a market Chanderi for the purpose of the “Act” for regulating the purchase and sale of Agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act including all Revenue and Forest villages of the area of Tehsil Chanderi in Ashoknager district.

Any objection or suggestion, which may be received on writing by the Chief Secretary to Government of Madhya Pradesh farmer welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from the date of publication of the Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—चूंकि, भूतपूर्व मध्य भारत शासन की अधिसूचना क्रमांक 145/13 दिनांक 9 जून 1953 द्वारा तत्कालीन जिला गुना (अब जिला अशोकनगर की तहसील मुंगावली एवं चंदेरी के मंडी क्षेत्र मुंगावली में (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त मंडी क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, उक्त मंडी क्षेत्र में से अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील के नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित 110 ग्राम जो जिला अशोकनगर की तहसील मुंगावली में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), को विपाटित करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 के उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा "उक्त मंडी क्षेत्र" में उक्त क्षेत्र को विपाटित करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र में" प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा:—

अनुसूची

1. लिधौरा, 2. किरर्या, 3. पगरा, 4. पहाड़पुर, 5. महौली, 6. चिमला, 7. बीड़ला, 8. कूपगढ़, 9. डगाबेरासिया, 10. वैदीपुर,
11. कोहापोहा, 12. सुगेरूबा, 13. बूढ़ी चन्देरी, 14. बनियाठाना, 15. मोहनपुर, 16. निदानपुर, 17. हसारी, 18. गोधन,
19. चकसिगपुर, 20. पांडी, 21. पिपरोद, 22. भाण्डी, 23. रकतेरा, 24. ख्यावदा, 25. देवलखो, 26. बुढ़ावली, 27. तगारी,
28. मोहनपुर खुर्द, 29. डिया, 30. बांकलपुर, 31. बारई, 32. भोजपुर, 33. फतेहाबाद, 34. हलनपुर, 35. सराय,
36. लिधौरा खुर्द, 37. नयाखेड़ा, 38. गोरासहराई, 39. नानकपुर, 40. रुद्रपुर, 41. कादरीपुर, 42. हिनौतिया, 43. ढिमरोली,
44. गोराकला, 45. हिरावल 46 चुरारी, 47. खैरा, 48. बामोरहुरा, 49. सकबारा, 50. कुंअरपुर, 51. सिंहपुरताल 52. खैरी
53. बडोरा, 54. कोटरा, 55. दिनोला, 56. पिपरोदा, 57. भडरौली, 58. नडेरी, 59. अमझरा, 60. बेहरी, 61. सिरसौद,
62. सोना/उमरिया, 63. कनावटा, 64. देवकानी, 65. भतीजा, 66. वाजना, 67. जमूसर, 68. वारी, 69. टोडा,
70. भलाखेडा, 71. सलैया, 72. प्राणपुर, 73. मुरादपुर, 74. चकखानपुर, 75. शंकरपुर, 76. टांडा, 77. नगावर,
78. जलालपुर, 79. पंचमनगर, 80. चंदेरी, 81. रामनगर, 82. सिंहपुरचाल्दा, 83. नारोन, 84. इमलिया, 85. डुंगासरा,
86. चकेरी, 87. धोसीढाना, 88. चकधपरा, 89. धपरा, 90. विक्रमपुर, 91. सतपईया, 92. सौतेर, 93. कडराना,
94. करमई, 95. लड़याखेड़ा, 96. अर्रेन, 97. इमलिया, 98. बड़खेड़ा, 99. भीलरी, 100. मीठाखेड़ा, 101. सरसेला,
102. कटाखेड़ा चंदेरी, 103. खागल, 104. लुधाया, 105. बराना, 106. पांडी सेहराई, 107. खलीलपुर, 108 हंसनगर,
109. विधा, 110 खाकरोन।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 2015

क्र. डी-15-6-2015-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 25th March 2015

No. D-15-6-2015-XIV-3.—WHEREAS, by the Industries and Commerce Department Notification No. 145/13, dated 9th June 1953 issued under the provisions of sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Bharat Agricultural Produce Market Act, in the area of then District Guna (Now District Ashoknagar) in Tehsil Mungawali and Chanderi of District Ashoknagar (here in after referred to as the “said market area”).

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limits of the “said market area” by split up here with the area comprising of 110 villages situated in the following list of Mungawali and Chanderi (Gram Saray) Tehsil of Ashoknagar District (here in after referred to as the “said area”).

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by the said market area by splitting up as per the “said area”.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the “Madhya Pradesh Gazette” will be considered by the State Government:—

LIST

- (1) Lidhoura, (2) Kirraya, (3) Pagra, (4) Pahadpura, (5) Mahuli, (6) Chimla, (7) Beedhla, (8) Koopgarh, (9) Dagaberasiya, (10) Vediipur, (11) Koha Poha, (12) Sugeruba, (13) Budhi Chanderi, (14) Baniyathana, (15) Mohanpur, (16) Nidanpur, (17) Hasari, (18) Godhan, (19) Chaksigpur, (20) Pandri, (21) Piprod, (22) Bhandri, (23) Raktera, (24) Khayavada, (25) Devlakho, (26) Budawali, (27) Tagari, (28) Mohanpur Khurd, (29) Dabiya, (30) Bakalpur, (31) Baarai, (32) Bhojpur, (33) Phatehabad, (34) Halanpur, (35) Saray, (36) Lidhoura Khurd, (37) Nayakheda, (38) Gorasahrai, (39) Nanakpur, (40) Rudrapur, (41) Kadripur, (42) Hinotiya, (43) Dhimroli, (44) Gorakala, (45) Hirawal, (46) Churari, (47) Khera, (48) Bamorhurra, (49) Sakwara, (50) Kuarpur, (51) Singhpurtal, (52) Khairi, (53) Badora, (54) Kotra, (55) Dinola, (56) Piproda, (57) Bhadroli, (58) Naderi, (59) Amjhara, (60) Behri, (61) Sirsoud, (62) Sona/Umariya, (63) Kanavata, (64) Devkani, (65) Bhateeja, (66) Vajna, (67) Jamusar, (68) Wari, (69) Toda, (70) Bhalakheda, (71) Salaya, (72) Pranpur, (73) Muradpur, (74) Chakkhanpur, (75) Shankarpur, (76) Tanda, (77) Nagawar, (78) Jalalpur, (79) Panchamnagar, (80) Chanderi, (81) Ramnagar, (82) Singhpurchalda, (83) Naron, (84) Imaliya, (85) Dungasara, (86) Chakeri, (87) Dhosidhana, (88) Chakdhapra, (89) Dhapra, (90) Vikrampur, (91) Satpaiya, (92) Souter, (93) Kadrana, (94) Karmai, (95) Ladeyakheda, (96) Arron, (97) Imaliya, (98) Badkheda, (99) Bhilri, (100) Meethakheda, (101) Sarsela, (102) Katakheda Chanderi, (103) Khagal, (104) Kudhaya, (105) Barana, (106) Pandri Sehrai, (107) Khalilpur, (108) Hansnagar, (109) Vidha, (110) Khakron.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.